<u>न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1, राजगढ जिला चूरू</u>

पीठासीन अधिकारीः मुनेश चंद यादव, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी संख्या 53/2026
CNR No.- RJCH060002122026

विक्रम गुर्जर पुत्र रामसिंह उम्र 32 साल निवासी ढाणी रूपावाली नजद माधोगढ पुलिस थाना बबई जिला झुंझुनूं

- प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, राजगढ़ जिला चूरू।

द्वितीय प्रार्थना पत्र बाबत जमानत अंतर्गत धारा 483 BNSS
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 429/2025 पीएस राजगढ
अपराध धारा 310(2), 331(8), 115(2), 127(2), 311 BNS व 27 आयुध अधिनियम

उपस्थितः-
श्री चरण सिंह पूनियां, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त
श्री सुनील जांगिड, अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य

आदेश दिनांकः **10.03.2026**

1- प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकीनकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई।

2- बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गयी। बहस में अधिवक्ता अभियुक्त ने उनके जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए यही तर्क दिया कि प्रार्थी को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है तथा वह दिनांक 16.12.25 से लगातार अभिरक्षा में है। प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है एवं उसके विरूद्ध प्रकरण संबंधी कोई साक्ष्य नहीं है। परिवादी ने अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करवाया है तथा अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है, ना ही उसकी शिनाख्त परेड करवायी गयी है एवं ना ही कॉल डिटेल व लोकेशन बाबत अनुसंधान किया गया है। प्रार्थी अपने परिवार में कमाने वाला अकेला व्यक्ति है। प्रकरण में समय लगने की संभावना है। गवाहान को टेम्परविद करने व फरार होने का अंदेशा नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

3- इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने यह तर्क दिया कि अभियुक्त ने सहअभियुक्त के साथ मिलकर परिवादी के घर में घुसकर एवं उसकी पत्नी संतोष देवी को पिस्तोल का भय दिखाकर घर में रखे आभूषण व नगदी रूपये आदि लूट कर ले गये एवं परिवादी की पत्नी के साथ मारपीट भी की है। अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण वर्णित धाराओं में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है तथा उसके विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकार्ड भी है, इसलिए कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

4- उभय पक्ष के तर्कों, तथ्यों पर मनन किया गया। केस डायरी एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यानुसार दिनांक 19.11.25 को परिवादी ताराचंद पुत्र सोहनराम निवासी बैरासर गुमाना तहसील राजगढ ने पुलिस थाना राजगढ में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की दी कि उसके दो पुत्र सुनील व कर्मवीर सेना एवं आईटीबीपी में नौकरी करते हैं एवं उनकी पत्नीयां पीहर गयी हुई थी। दिनांक 18.11.25 को उसकी पत्नी संतोष देवी घर में सो रही थी तथा वह नोहरे में सो रहा था। रात्रि करीब 12 बजे उसकी पत्नी ने रोला किया तो गांव के लोग एवं वह मौके पर गये तो एक बोलेरो गाडी व मोटरसाइकिल खडी थी। उनके पुराने घर से 6-8 व्यक्ति मुंह पर ढाटा मारे हुए उक्त वाहनों को लेकर भाग गये। उन्होंने संतोष देवी से पूछा तो उसने बताया कि उक्त 6-8 लोगों ने घर में घुसकर उसे गला दबाकर मारने का प्रयास किया एवं था-मुक्कों व लातों से मारपीट की तथा पिस्तोल दिखाकर धमकाया कि रोला करेगी तो जान से मार देंगें। घर में रखे सामान बाबत पूछने पर उसने डर के मारे बता दिया। ये व्यक्ति पिस्तोल की नोक पर घर में रखे आठ जोडी चांदी की पाजेब, एक हमेल व एक चैन सोने की, एक सोने का कडा, दो सोने के मंगलसूत्र, सोने की पांच अंगूठी, सोने के झूमके दो जोडी, सोने के दो ताबीज, सोने का एक लॉकेट, कन्यादान के आये एक लाख अस्सी हजार रूपये व घर में रखे पचास हजार रूपये लूटकर ले गये। उसकी पत्नी के शरीर पर चोटें लगी है....आदि आदि पर पुलिस थाना राजगढ में प्राथमिकी सं. 429/2025 दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और बाद आवश्यक अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 310(2), 331(8), 115(2), 127(2), 311 बी.एन.एस व 27 आयुध अधिनियम का अपराध प्रमाणित मानकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

5- पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादी ताराचंद के घर में घुसकर परिवादी की पत्नी की पत्नी संतोष देवी को अन्यत्र जाने से निवारित कर उसका गला दबाते हुए उसके साथ मारपीट की तथा उसे पिस्तोल का भय दिखाकर उनके घर में रखे सामान बाबत पूछताछ करने के पश्चात घर से

आभूषण व रूपयों की लूट कारित की गयी है, जिसका उल्लेख परिवादी व उसकी पत्नी व अन्य गवाह ने उनके बयान अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस में भी किया है। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त ने इस बाबत स्वैच्छिक इतिला अंतर्गत धारा 23(2) साक्ष्य अधिनियम की अनुसंधान अधिकारी को दी है व घटनास्थल तस्दीक करवाया गया है।

6- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का यह तर्क कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है, कतई चलने योग्य नहीं है क्योंकि अनुसंधान अधिकारी ने बाद अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 310(2), 331(8), 115(2), 127(2), 311 बी.एन.एस व 27 आयुध अधिनियम का अपराध प्रमाणित मानकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया है, जिस कारण उक्त अपराध में उसकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है। जहां तक अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क कि अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर अपराध से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं है तो न्यायालय के विनम्र मत में यह तथ्य साक्ष्य का विषय है एवं अभी पत्रावली प्रारंभिक स्तर पर लंबित है। ऐसे में इसी स्तर पर यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के विरूद्ध अपराध संबंधी साक्ष्य है अथवा नहीं, जबकि अभी न्यायालय को मात्र जमानत आवेदन पर निष्कर्ष देना है। वहीं अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2026 को खारिज किया जा चुका है।

7- अभियुक्त **विक्रम गुर्जर** के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकार्ड निम्न है-

SR NO.	FIR NO.	Police Station	Section	DATE & STATUS	DATE OF ARREST	RELEASE ON ANY PREVIOUS OCCASION
1	495/23	उदयपुर सिटी	3/25, 6 आयुध अधि.	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं
2	251/2020	गुडा गोडजी	451, 323/34 भा0द0ंस0	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं
3	101/18	खेतडी	323, 341 भा0द0ंस0	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं
4	130/23	रामगढ सेठान, सीकर	147, 148, 332, 353, 307, 482, 427 भा0द0ंस0 व 27 आयुध अधिनियम	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं
5	398/23	श्रीडूंगरगढ, बीकानेर	395, 397, 457, 380 भा0द0ंस0 व 27 आयुध अधिनियम	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं
6	272/23	रतनगढ, चूरू	457, 380 भा0द0ंस0	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं
7	395/23	श्रडूंगरगढ, बीकानेर	395, 397, 457, 380 भा0द0ंस0 व	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं

			27 आयुध अधिनियम			
8	393/23	श्रीडूंगरगढ, बीकानेर	457, 380 भा0द0सं0	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं

8- पत्रावली के अवलोकन एवं उपरोक्त आपराधिक रिकार्ड से यह भी प्रकट हो रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में चोरी, डकैती, आयुध अधिनियम व अन्य प्रकृति के कई प्रकरण दर्ज है, जिससे उसका इस प्रकार के अपराधों में अधिक संलिप्त होना दर्शित हो रहा है। उक्त प्रकरण में कारित अपराध भी गंभीर प्रकृति का है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी/अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता, प्रस्तुत आरोप पत्र, उसके पूर्व आपराधिक रिकार्ड एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाते हैं।

<u>आदेश</u>

9- अतः प्रार्थी/अभियुक्त विक्रम गुर्जर पुत्र रामसिंह उम्र 32 साल निवासी ढाणी रूपावाली नजद माधोगढ पुलिस थाना बबई जिला झुंझुनूं का यह द्वितीय जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(मुनेश चंद यादव)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1
राजगढ जिला चूरू

10- आदेश आज दिनांक 10.03.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश चंद यादव)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1
राजगढ जिला चूरू